[To be published in the Official Gazette, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, the 30th October, 2019

S.O.___(E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Registrar of Companies shall have jurisdiction in respect of Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh, for the purpose of registration of companies and discharging the functions under the aforesaid Act.

2. This notification shall come into force with effect from 31st October, 2019.

[F. No.5/20/2019-A -CL-V]

(K.V.R.Murty)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 30 अक्तूबर, 2019

का.आ. (अ).- कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 396 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी रजिस्ट्रार, जम्मू को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन और कार्यों के निर्वहन के लिए न्यायाधिकार होगा।

यह अधिसूचना 31 अक्तूबर, 2019 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.5/20/2019-क-सीएल.V]

के. बी. उसार-मिर्म 30) 10) 19 (के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार